निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 06 पटना, बुधवार, 18 माघ 1939 (श0) / 7 फरवरी 2018 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	4-5
पूरक	---
पूरक-क	6-9

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी 2018

सं0 ई2–2–036/2010–**51**—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री प्रशांत शेखर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु0), निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को चेन्नई एवं तिरूपति यात्रा के निमित्त दिनांक 01.11.2017 से 17.11.2017 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 18.11.2017 एवं 19.11.2017 को शनिवारीय–रविवारीय अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति दी जाती है।

आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

29 जनवरी 2018

सं0 15/एम 1–160/2014–124—बिहार राज्य के वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर में निजी क्षेत्र में डॉ0 सी0वी रमण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT) से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्याकंन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 द्वारा इस विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 2 (2) के तहत आशय पत्र की समयावधि को दो वर्षों के लिए अधिकतम विस्तारित किया गया है।

विभागीय स्तर से निर्गत उक्त आशय पत्र के आलोक में प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रदत अधिकार के तहत प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), SCOPE Campus, NH-12, Bhaironpur, (Near misrod) hosangabad road, Bhopal-462026 को " डॉ0 सी0वी रमण विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं भगवानपुर (वैशाली) में पटना साहिब एजुकेशनल ट्रस्ट से किराएनामा किए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

दो वर्षों के उपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के धारा 5 (1) (iii) के तहत विश्वविद्यालय के लिए स्थायी भवन निर्मित नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 एवं पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्गत आशय पत्र एवं इस अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय स्थापना/औपबंधिक संचालन हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

यह विश्वविद्यालय डॉ0 सी0वी रमण विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, अपर सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 जनवरी 2018

सं0 6/प्रो०–06–002/94(खण्ड)–281(अनु0)/वा०कर—सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–5463/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त वाणिज्य–कर उपायुक्त को वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि (वेतनमान् रू० 12000-375-16500) से वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान् रू० 14300-400-18300) कोटि में दिनांक 11.12.2008 से वैचारिक तथा दिनांक 12.01.2009 से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in